झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न,गुरूवार,दिनांक- 13 फाल्गुन, 1942 (श0) / 04 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
153.	ज-03	श्री मनीष जायसवाल	चेकडैम का निर्माण।	जल संसाधन	26.02.21
154.	खा-01	श्री अमित कुमार मंडल	धान को शत् प्रतिशत खरीदना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	26.02.21
155.	जा0-17	श्री रामचन्द्र सिंह	नया कभर तार लगवाना।	ऊर्जा	26.02.21
156.	क-02	श्रीमती सीता सोरेन	छात्रों को छात्रवृति रू0 1लाख 50 हजार करना।	अनु0 जाति अनु0 जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.02.21
157.	कृष-05	श्री केदार हजरा	कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	26.02.21
158.	कृष-02	श्री कोचे मुण्डा	चिकित्सा केन्द्र को चालू करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	26.02.21
159.	ज-21	डॉ0 लम्बोदर महतो	पढ़ाई चालू कराना।	जल संसाधन	26.02.21
160.	जा-13	श्री मंगल कालिन्दी	जाँच एवं दोषियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	26.02.21
161.	खा-02	श्री दीपक बिरूआ	धान क्रय केन्द्र खोलना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	26.02.21
162.	मस-03	श्री नवीन जयसवाल	वृद्धा एवं विधवा पेंशन देना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	26.02.21

कृ0पृ030/-

163.जा-07	कुशवाहा डॉ0 शशिभूषण मेहता	ट्रांसफार्मर की मरम्मति एवं विपत्र में सुधार।	ऊर्जा	26.02.21
164.जा-14	श्री अमित कुमार मंडल	तार को कभर कराना।	ऊर्जा	26.02.21
165.जा-05	श्री कोचे मुण्डा	विद्युत सब-स्टेशन चालू कराना।	ऊर्जा	26.02.21
166.जा-04	श्री किशुन कुमार दास	मुआवजा का भुगतान।	ऊर्जा	26.02.21
167.कृष-07	श्री मथुरा प्रसाद महतो	धान क्रय केन्द्र खोलना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	26.02.21
168.ज-27	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	तालाब का जीर्णोद्धार एवं गहरीकरण।	जल संसाधन	26.02.21
169.क-04	श्री लोबिन हेम्ब्रम	समस्या का समाधान।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.02.21
170.ज-15	श्री नलिन सोरेन	नहर का पक्कीकरण।	जल संसाधन	26.02.21
171.ज-12	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	पदा0 एवं संवेदक पर कार्रवाई।	जल संसाधन	26.02.21
172.जा-11	श्री मथुरा प्रसाद महतो	गाँव में विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	26.02.21
173.क-06	श्री दिनेश विलियम मरांडी	एन0जी0ओ0 पर कार्रवाई।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.02.21
174.जा-03	श्री किशुन कुमार दास	मुआवजा राशि का भुगतान।	ऊर्जा	26.02.21
175.जा-02	श्री दशरथ गागराई	ट्रांसफार्मर का क्षमता बढ़ाना।	ऊर्जा	26.02.21
176.ज-26	श्री दिनेश विलियम मरांडी	कार्य की जाँच कराना।	जल संसाधन	26.02.21
177.कृष-04	श्री कमलेश कुमार सिंह	फसल बीमा का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	26.02.21
178.ज-35	श्री रामचन्द्र सिंह	गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना।	जल संसाधन	26.02.21
179.ज-11	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सिंचाई सुविधा देना।	जल संसाधन	26.02.21
180.ज-09	श्री समीर कुमार मोहन्ती	सिंचाई व्यवस्था चालू करना।	जल संसाधन	26.02.21
181.जा-16	श्री नवीन जयसवाल	लाईट की व्यवस्था करना।	ऊर्जा	26.02.21
182.ज-24	श्री सोनाराम सिंकु	नहर का पुनर्निर्माण कराना।	जल संसाधन	26.02.21
183.क-01	श्री विनोद कुमार सिंह	विद्यालय स्थापित करना।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.02.21
184.कृष-10	श्रीमती सीता सोरेन	डेयरी फार्म खोलना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	26.02.21
185.ज-16	श्री नलिन सोरेन	तटबंध का निर्माण।	जल संसाधन	26.02.21
186.कृष-09	श्री नारायण दास	शीतगृह का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	26.02.21

क्र0पृ030/-

ऊर्जा विभाग के पत्रांक-491 दि0 3/3/21 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानांतरित।

ऊर्जा विभाग के पत्रांक 492 दि0 3/3/21 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानांतरित।

ऊर्जा विभाग के पत्रांक-467 दि0-3/3/21 द्वारा नगर विकास विभाग में स्थानांतरित।

187.कृष–13	डॉ0 बीरा यादव	पदा0 का पदस्थापन एवं राशि का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	26.02.21
188.कृष–08	श्री मंगल कालिन्दी	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	26.02.21
189.ज–28	श्री लोबिन हेम्ब्रम	तालाब का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	26.02.21
190.क–03	श्री समीर कुमार मोहन्ती	अनुकम्पा के आधार पर नौकरी।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.02.21
191.ज–02	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	फाटक का मरम्मत कराना।	जल संसाधन	17.02.21
192.जा–08	श्री अमित कुमार यादव	सब–स्टेशन को चालू करना।	ऊर्जा	26.02.21
193.ज–34	श्री अमर कुमार बाउरी	बराज,कैचमेंट को पूर्ण एवं दोषियों पर कार्रवाई।	जल संसाधन	26.02.21
194.ज–33	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	संरचनाओं का निर्माण।	जल संसाधन	26.02.21
195.कृष–03	श्री कमलेश कुमार सिंह	राशि का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	26.02.21
196.ज–25	श्री नारायण दास	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	26.02.21
197.खा–03	कुशवाहा डॉ0 शशिभूषण मेहता	अनाज मुहैया कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	26.02.21
198.ज–18	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	सिंचाई योजना को चालू कराना।	जल संसाधन	26.02.21
199.कृष–01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	चिकित्सा कार्य प्रारम्भ कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.21
200.क–08	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	भवन का निर्माण कराना।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.02.21
201.ज–20	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	योजनाओं को चालू	जल संसाधन	26.02.21

रॉंची,
दिनांक– 04 मार्च,2021(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–प्रश्न–05/2020.....771...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः–02/03/2021

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
04/3/2021
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

क0पृ030/-

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–प्रश्न–05/2020.....721...../वि0स0,राँची,दिनांकः–02/03/2021

प्रतिलिपिः–आप्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न),झारखण्ड विधान–सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
01/3/2021
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–प्रश्न–05/2020.....721...../वि0स0,राँची,दिनांकः–02/03/2021

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
01/3/2021
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

01.03.21

श्री मनीष जयसवाल, स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.31 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-03 का उत्तर प्रतिवेदन। (153)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र के सदर प्रखंड अंतर्गत भेलवारा पंचायत के बोधो गाँव एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ के लोगो का मुख्य पेशा कृषि है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित गाँव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वहा के लोगो को कृषि कार्य हेतु वर्षा पर ही निर्भर होना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित गाँव में आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में कोनार नदी पर श्रृखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	तकनीकी सर्वेक्षणोपरांत संभाव्यता पाये जाने पर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए आगामी वर्षों में विभाग योजना के निर्माण का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां0-04/2021/ 1287 /   राँची, दिनांक- 3/3/2021

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-___ दिनांक-___ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

-154-

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा० 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमित कुमार मंडल,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, राज्य में अब तक मात्र 2 लाख टन धान का ही खरीद हो सका है जो खरीफ मौसम 2020–2021 के लक्ष्य 4.5 लाख टन से काफी कम है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में खरीफ विपणन मौसम में धान की अधिप्राप्ति में वृद्धि को देखते हुए धान अधिप्राप्ति के पूर्व निर्धारित लक्ष्य 4.5 लाख मे० टन को बढ़कार 5.49 लख मे० टन कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध अबतक 3.27 लाख मे० टन धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है।
(2) क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला समेत राज्य के अन्य जिलों में धान अधिप्राप्ति में हो रही कठिनाईयों के कारण किसान को 10–12 रू० प्रति किलो की दर से धान को बाजार में बेचना पड़ रहा है, जबकि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 20.05 प्रतिकिलो है;	अस्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला समेत राज्य के अन्य जिलों में शत्प्रतिशत धान क्रय केन्द्र नहीं खुलने के कारण किसान दलालों को धान कम दाम में बेच रहे है;	गोड्डा जिले में विगत वर्ष खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में कुल 09 धान अधिप्राप्ति केन्द्र थे जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 20 कर दिया गया है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य एवं गोड्डा जिले के किसानों के धान को शत् प्रतिशत खरीदने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	गोड्डा जिले का पूर्व निर्धारित लक्ष्य 2500 मे० टन का पुनर्निर्धारण करते हुए नया लक्ष्य 7500 मे० टन निर्धारित किया गया जिनके विरूद्ध अबतक 3700 मे० टन धान की अधिप्राप्त हो चुकी है। खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में धान अधिप्राप्ति की निर्धारित तिथि तक शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।
/राँची, दिनांक 02.03.21

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (वि०स०ता०प्रश्न) 04/2021 676
प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 509/वि०स०, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–17 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री रामचन्द्र सिंह , मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला मुख्यालय अवस्थित करकट पावर ग्रिड से मनिका सब स्टेशन से गई 33,000 KVA तार जर्जर होने के कारण आये दिन टूटने से जान माल का नुकसान के साथ-साथ बिजली व्यवस्था बाधित होते रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार करकट पावर ग्रिड से मनिका सब स्टेशन तक 33,000 KVA नया कभर तार लगवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	करकेट पावर ग्रिड से 33/11 के०भी० शक्ति उपकेन्द्र मनिका तक 33 के०भी० लाईन की लंबाई 18 कि०मी० है। Turnkey Agency M/s NCC Ltd. के द्वारा "झारखण्ड संपूर्ण बिजली अच्छादन योजना" स्कीम के तहत् लाईन सुदृढ़ीकरण कराते हुए 15 कि०मी० 33 के०भी० लाईन में नया तार लगा दिया गया है। शेष 03 कि०मी० तार माह मार्च 2021 के अंत तक बदल दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 506 / दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(156)

श्रीमती सीता सोरेन, स० वि० स० से प्राप्त दिनांक– 04.03.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क0–02 का उत्तर सामग्री

क०	तारांकित प्रश्न संख्या–क0–02	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है बिरला इंस्टिटच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए सालाना फीस रू० 1.50 लाख तथा मेस चार्ज अलग से रू० 25 हजार है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः बिरला इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची द्वारा वार्षिक शिक्षण शुल्क 2.43 लाख रूपए, छात्रावास शुल्क 36 हजार रूपए एवं मेस चार्ज लगभग 36 हजार रूपए है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त इंस्टिटच्यूट में झारखण्ड कोटा से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के छात्र–छात्राओं के लिए कुल सीटों का 50% आरक्षण है जिस पर राज्य में लागू आरक्षण नीति के अनुसार नामांकन होता है।
3.	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग यहाँ पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वार्षिक रूप से रू० 45 हजार रूपये छात्रवृति देती है, जो यहाँ के फीस के अनुसार बहुत ही कम है ;	विभागीय संकल्प संख्या–636, दिनांक–21.02.2018 के आलोक में प्रति छात्र प्रति वर्ष अधिकतम 50000.00 रू० छात्रवृति प्रदान की जाती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यहाँ पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के छात्रों का छात्रवृति राशि वार्षिक रू० 1 लाख 50 हजार रूपये करने का विचार रखती है, हो तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(तारांकित)–01/2021 594 राँची, दिनांक– 3/3/21

प्रतिलिपि– 1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–501 दिनांक– 26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/21

(वंदना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

15

श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-05 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधानसभा क्षेत्र में एक भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं रहने के कारण स्थानीय कृषकों को कृषि कार्य में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। कृषि विज्ञान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा वित्त सम्पोषित जिला स्तरीय संस्था है। कृषि विज्ञान केन्द्र गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखण्ड में अवस्थित है। यह पूरे जिले के किसानों को कृषि एवं कृषि से संबंधित सभी विषय का तकनीकी समाधान एवं प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है।
3	क्या यह बात सही है कि स्थानीय कृषकों को समय-समय पर कृषि विज्ञान केन्द्र के नहीं रहने पर फसलों का नुकसान एवं आर्थिक हानि भी उठाना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। कृषि विज्ञान केन्द्र अपने प्रसार रणनीति के द्वारा जिले के सभी प्रखण्ड एवं पंचायत तक तकनीकी समाधान कृषि, पशुपालन, मत्स्य, गव्य विभाग एवं आत्मा के सहयोग से कृषि तकनीकी से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जमुआ या देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-05/वी०ए०यू०(ता०)-03/2021 419 /कृ०, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-487 दिनांक-26.02.2021 के प्रसंग में (125 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र 03/03/2021

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-05/वी०ए०यू०(ता०)-03/2021 419 /कृ०, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र 03/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

T/S Drive/Vidhan Sabha/Question Answer/Sabha/T

158

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न का संख्या–कृष–02 का उत्तर।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री कोचे मुण्डा, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के कर्रा प्रखण्ड में गोविन्दपुर पशु चिकित्सालय भवन पूर्ण होने के बावजूद अबतक पशुओं का ईलाज शुरू नहीं किया जा सका है ;	अस्वीकारात्मक। भवन निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित गोविन्दपुर पशु चिकित्सालय भवन दिनांक–20.02.2020 को हस्तगत कराया गया है। पशुचिकित्सा का कार्य उक्त नवनिर्मित पशु चिकित्सालय में संचालित किया जा रहा है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय केन्द्र को चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक:–5 बजट (1) 10/2021 प0 या0 247- राँची/ दिनांक 03.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 481 दि0 26.02.2021 के प्रसंग में एवं अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव

(159)

माननीय स0वि0स0 डॉ0 लंबोदर महतो द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित नदी घाटी परियोजना विद्यालय, तेनुघाट जो 6 वर्षों से बंद है का समुचित संचालन हेतु वर्ष 2013 एवं 2016 में प्रस्ताव मानव संसाधन संसाधन विभाग (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) को भेजा गया था परंतु दोनों बार प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का स्थापना तेनुघाट डैम से विस्थापित आसपास के गांव एवं अन्य स्तर पर कार्यरत लोगों के बच्चों की पढ़ाई के उद्देश्य से किया गया था तथा यह विद्यालय विस्थापित परिवार के बच्चों के लिए अध्ययन का एकमात्र साधन था;	स्वीकारात्मक। उक्त विद्यालय की स्थापना डैम से सम्बंधित कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्थानीय ग्रामीणों के बच्चों की पढाई के उद्देश्य से किया गया था।
3.	क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय के बंद होने से विस्थापन नीति में देय सुविधा के शर्तों का उल्लंघन हो रहा है और विस्थापित परिवार के बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है साथ ही करोड़ों रुपए का मूलभूत संरचना विभाग के गैर जिम्मेवार रवैया के कारण बर्बाद हो रही है;	विद्यालय का स्थापना विस्थापित निति के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था। वर्तमान में इस विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवा–निवृत हो जाने के कारण विद्यालय में पठन– पाठन बंद है। अतएव, वर्ष 2013 एवं 2016 में इसे शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव मानव संसाधन विभाग को भेजा गया था, परंतु दोनों बार प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। मानव संसाधन विभाग द्वारा विद्यालय भवन को अन्य कार्यों में उपयोग में लाने का परामर्श दिया गया है। उक्त आलोक में विद्यालय भवन को अन्य कार्यों में उपयोग के लिए स्थानान्तरण हेतु जिला प्रशासन बोकारो को अनुरोध किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विस्थापित परिवार के हित में पूर्व की भांति जल संसाधन विभाग के द्वारा ही उक्त विद्यालय को संचालित करते हुए पुनः पढ़ाई चालू करने का विचार रखती है हां तो कब तक नहीं तो क्यों?	जल संसाधन विभाग उक्त विद्यालय को संचालित करने का विचार नहीं रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1282 राँची, दिनांक– 03/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0–476, दनांक–26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०-13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम अन्तर्गत जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के जमशेदपुर प्रखण्ड में राष्ट्रीय विद्युतीकरण योजना के तहत् के०ई०आई० इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को भूतल केबल बिछाने हेतु कार्य वर्ष-2018 में आवंटित किया गया है, परन्तु आजतक उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया है;	राज्य सरकार की योजना झारखण्ड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के अन्तर्गत जमशेदपुर शहर में आंशिक रूप से भूतल केबुल बिछाने हेतु कार्य मार्च 2019 में मेसर्स के०ई०आई० कंपनी को आवंटित किया गया है। जिसमें जुगसलाई विधान सभा क्षेत्र के जुगसलाई शहरी क्षेत्र में आंशिक रूप से भी केबुल बिछाने का कार्य किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है, जिसे सितम्बर 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
2. क्या यह बात सही है कि भूतल केबल बिछाने हेतु सरकार द्वारा दिये गये मानक के विरूद्ध कार्य किया जा रहा है एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति भी नहीं की जा रही है;	भूतल केबुल बिछाने हेतु कार्यादेश एवं IS Specification के तहत् कार्य किया जा रहा है। जिसकी Monitoring विभागीय अभियंताओं के साथ तृतीय पक्ष मेसर्स रेडिक के द्वारा किया जाता रहा है। उक्त सभी पक्षों द्वारा एजेंसी के कार्य के उपरांत Joint Measurement Certificate किया जाता रहा है जिसमें सभी त्रुटियों के निवारण हेतु एजेंसी को निर्देशित किया जाता है, त्रुटियों के निवारण के उपरांत उक्त सभी पक्षों द्वारा संपुष्टि की जाती है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति, जहाँ केबुल बिछाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, वहाँ कर दी गई है एवं शेष जगहों पर केबुल बिछाने का कार्य पूर्ण होने पर किया जायेगा।
3. क्या यह बात सही है कि पूर्व में बिछाये गये पेयजल सप्लाई के पाईप के उपर से ही भूतल केबल को बिछा दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो सकती है;	बिछाये गये पेयजल सप्लाई के पाईप के ऊपर क्रासिंग वाले स्थानों पर भूतल केबुल दिया जा रहा है। यह केबुल HDPE Pipe के अंदर डाल कर दिया जा रहा है, चूँकि केबुल को भूमिगत कार्य के उपयोग के लिए IS Standard को पूर्णत: पालन करते हुए एवं Extra Safety लेते हुए HDPE Pipe के अंदर डालकर बिछाया गया है। अत: दुर्घटना की कोई संभावना नहीं बनती है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त K.E.I कंपनी द्वारा अभी तक के सभी कार्यों की जाँच एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 504 /   दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा० 02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री दीपक बिरूवा,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर पर धान क्रय केन्द्र खोलने का प्रावधान है;	इस संबंध में ऐसा कोई संकल्प नहीं है कि प्रत्येक पंचायत में एक धान क्रय केन्द्र खोला जाए।
(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा विधान सभा क्षेत्र के 5 प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तर पर ही धान क्रय केन्द्र (लैंपस) संचालित है;	वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा विधान सभा क्षेत्र के 5 प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तर पर ही धान क्रय केन्द्र संचालित है।
(3) क्या यह बात सही है कि पंचायत स्तर पर लैंपस संचालित नहीं होने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;	चूँकि अब किसान जागरूक हो गये हैं और MSP का फायदा उठाने हेतु धान क्रय केन्द्र में बेचना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक केन्द्रों को खोलने की आवश्यकता है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सरकारी प्रावधानानुसार किसानों के हित में खण्ड–01 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं क्यों ?	पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त को सरकार निर्देशित करेगी कि जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक कर पंजीकृत किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु नये केन्द्र खोलने की कार्रवाई करें।

03/03/2021
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (वि०स०ता०प्रश्न) 05/2021 694 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 508/वि०स०, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

(162)

श्री नवीन जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–म०स0– 03 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान नियमावली के अनुसार वृद्धा एवं विधवा पेंशन बनाने के लिए लाभुक के पास राशन कार्ड होना जरुरी है, एवं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें वृद्धा एवं विधवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे वृद्धा एवं विधवा लाभुक जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें वृद्धा एवं विधवा पेंशन देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा राज्य के वृद्धाओं एवं विधवाओं को पेंशन योजनाओं से आच्छादित करने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है :– (see table below)

क्र0	योजना का नाम	अर्हता
	60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धाओं के लिए	
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	लाभुक बी०पी०एल० कार्डधारी हो।
2.	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	लाभुक बी०पी०एल० कार्डधारी हो अथवा लाभुक अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला राशन कार्ड)/ पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी राशन कार्ड)/K – Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) धारी हो।
	18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की विधवाओं के लिए	
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	लाभुक बी०पी०एल० कार्डधारी हो।
2.	मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना	1. लाभुक बी०पी०एल० कार्डधारी हो 2. लाभुक अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला राशन कार्ड)/ पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी राशन कार्ड)/K – Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) धारी हो।

राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के साथ अधिकाधिक वंचित एवं असहाय वृद्धाओं तथा विधवाओं को पेंशन योजनाओं से आच्छादित करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। वर्तमान में इन योजनाओं से क्रमशः कुल 14,32,718 वृद्धाओं एवं 4,48,097 विधवाओं को आच्छादित करते हुए पेंशन राशि रु0–1000/– प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा – 70/2021–442 राँची, दिनांक : 03-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–507/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

(विक्रमा राम)

सरकार के अवर सचिव।

C:\Pankaj\Secretariat_Social Welfare\Vidhan Sabha Answer – 7 –

163

श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत राजीव गाँधी विद्युतीकरण के तहत् अनेकों गाँव में बिजली पहुँचाई गई है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अधिकतर गाँव में कई कई महीनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है जिसके कारण बल्बभर बिजली का उपभोग नहीं कर पा रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि बिजली विभाग के द्वारा जिस गाँव में ट्रांसफार्मर जला है उस अवधि का बिजली बिल के भुगतान नहीं करने पर लाईन काट दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सभी गाँव में जले हुए ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग कराते हुए विपत्र की सुधार का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	पलामू जिला के गाँव में विभिन्न योजनाओं के तहत् विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। कुछ गाँव में जले हुए ट्रांसफार्मर को चरणबद्ध तरीके से बदली की जा रही है। वर्तमान में कोई गाँव में बहुत लंबे अंतराल तक ट्रांसफार्मर जलने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं है जिसके विद्युत ऊर्जा के बिल में संशोधन किया जाय। राजस्व संग्रहण के दौरान बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेदन के पश्चात् पिछले माह पांकी प्रखण्ड के भरही/ मनातू प्रखण्ड के पदमा, मंझोली एवं वंशी के ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2014 के बीच के कुछ अवधि के ट्रांसफार्मर जलने के बावजूद बिलिंग का शिकायत किया गया। विदित हो कि इस अवधि में ग्रामीणों द्वारा भुगतान नहीं किया गया, न कोई आवेदन दिया गया था। चूँकि यह मामला बहुत पुराने अवधि का है इस संबंध में जाँच हेतु समिति बनाई गई है। समिति के द्वारा जाँच प्रतिवेदन के बाद यदि आवश्यक हुआ तो विपत्र संशोधन की प्रक्रिया की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 510 / दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docs 3

(164)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के गुलजार बाग मुहल्ले में भवन निर्माण के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत 11 फरवरी, 2021 को हो गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। दुर्घटना स्थल पर बिजली का लाईन संबंधित निर्माणाधीन भवन से पर्याप्त दूरी पर लगा हुआ है, भवन निर्माण के दौरान मृतक का लापरवाही से निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सरिया के माध्यम से लाईन के संपर्क में आ जाने से यह दुर्घटना घटी।
2. क्या यह बात सही है कि चार माह पूर्व गोड्डा जिले के सरकोंडा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दुकानदार की मौत हो गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। दुर्घटना स्थल पर बिजली का लाईन सही स्थान पर है। भवन निर्माण के दौरान मृतक के लापरवाही से निर्माण में प्रयोग होने वाले सरिया के माध्यम से लाईन के संपर्क में आ जाने से यह दुर्घटना घटी।
3. क्या यह बात सही है कि गोड्डा शहरी क्षेत्र समेत राज्य के अन्य शहरों में हाईटेंशन (11 हजार तार) बिना कभर किये घनी आबादी के बीचों-बीच होकर गुजरता है, जिससे जान-माल की क्षति की संभावना हमेशा बनी रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में बिजली (करेंट) से मरने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने एवं घनी आबादी से गुजरने वाले हाईटेंशन तार को कभर करने की योजना बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विद्युत दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की अवस्था में विभाग द्वारा दो लाख रूपये मुआवजा देने का प्रावधान है। बशर्ते उक्त दुर्घटना में मृत व्यक्ति की लापरवाही/ गलती न हो। गोड्डा जिला में पूर्व में लगभग 13 कि०मी० 11 के०भी० एवं 33 के०भी० लाईन को अण्डरग्राउण्ड किया गया है। वर्तमान में गोड्डा जिला में अण्डरग्राउण्ड केबुल से संबंधित कोई योजना चालू नहीं है, भविष्य में यदि सरकार/ विभाग द्वारा अण्डरग्राउण्ड केबुल के कार्य से संबंधित योजना शुरू करने का निर्णय लिया जाता है तो गोड्डा शहर के शेष बचे Overhead लाईन को भी अण्डरग्राउण्ड कराया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 509 / दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(अरुण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

165

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला में तोरपा विद्युत सब-स्टेशन से रनिया विद्युत सब-स्टेशन तक 33 के०वी०ए० का हाईटेंशन केबुल पोकला रेलवे स्टेशन के बाद रेलवे अण्डर पास को पार कर गुजरा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रेलवे के अण्डर पास में पानी जमा रहने के कारण 33 के०वी०ए० का हाईटेंशन केबुल ब्लास्ट होने से रनिया सब-स्टेशन को विगत साल भर से बिजली नहीं मिल पा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रनिया विद्युत सब स्टेशन से जुड़े सभी 11KV फीडर में बिजली की आपूर्ति केलो विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से की जा रही है। अतएव इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सामान्य है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 33 के०वी०ए० का केबुल बदलकर रनिया विद्युत सब-स्टेशन चालु करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	रनिया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र पूर्व में कामडारा ग्रिड से 33 KV लाईन से जुड़ा था। पोकला के समीप रेलवे क्रॉसिंग में केबुल फॉल्ट आने पर कामडारा से 33 KV लाईन बाधित हो गई थी। किंतु खूँटी स्थित जापुद ग्रिड से रनिया विद्युत सब स्टेशन को 33 KV के माध्यम से जोड़कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जा चुकी है। वर्तमान में इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। रनिया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का एक अन्या स्रोत 33 KV कामडारा–रनिया फीडर में पोकला के समीप रेलवे क्रॉसिंग में हुए केबुल फॉल्ट को एक माह के अंदर दुरूस्त करा लिया जायेगा। इस प्रकार रनिया पी०एस०एस० जापुद ग्रिड के साथ-साथ कामडारा ग्रिड से भी जुड़ जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 503 / दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

167

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-07 का प्रश्नोत्तरः-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के टुण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत कटनीयाँ एवं केशका (गोपालपुर) में पैक्स का निर्माण किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों पैक्स में धान-क्रय नहीं किया जाता है, जिसके कारण किसानों को अपना धान विक्रय करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. कटनिया (ओझाडीह कटनियाँ) पैक्स का अंकेक्षण पिछले 8-9 वर्षों से लंबित रहने के कारण वर्ष 2020-21 में धान-क्रय केन्द्र हेतु प्रस्ताव जिला अनुश्रवण समिति, धनबाद से स्वीकृति हेतु नहीं भेजा गया था क्योंकि धान-क्रय केन्द्र का प्रस्ताव भेजने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड में समिति का अद्यतन अंकेक्षित होना अनिवार्य है। 2. केशका (गोपालपुर) पैक्स पर इस खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012-13 का बकाया राशि रु0-2.43 लाख अवशेष रहने के कारण क्रय केन्द्र के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। उक्त दोनों पैक्सों के धान विक्रय हेतु निबंधित किसानों को टुण्डी प्रखण्ड में वर्ष 2020-21 में धान अधिप्राप्ति हेतु कार्यरत पूर्णाडीह पैक्स एवं मनियाडीह शीतलपुर पैक्स में राज्य खाद्य निगम, धनबाद द्वारा संबद्ध कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों पैक्सो में धान क्रय केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	धान क्रय केन्द्र हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा किये जाने की स्थिति में ही किसी पैक्स को धान क्रय केन्द्र घोषित किया जा सकता है।

03/03/21
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव।

2 SH
03.03.2021

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-07/लैम्पस/पैक्स (वि०स०) तारांकित-08/2021 सह० 284 /राँची, दिनांक- 03·03·2021

प्रतिलिपि:-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०-486 वि०स० दिनांक-26.02.2021 के क्रम में 125 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21

सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-27 का उत्तर प्रतिवेदन।

168

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा अंतर्गत ग्राम–शासनबेडिया पंचायत शासनबेडिया में काफी पुराना बड़ा तालाब है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जीर्णोद्धार नहीं होने से कीचड़, मिट्टी से तालाब भर गया है तथा पानी प्रदूषित हो गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि पूर्व से ही उपरोक्त तालाब में आम लोगों द्वारा पुजा–पाठ मुण्डन संस्कार आदि कार्य किया जाता रहा है लेकिन जल के प्रदूषित होने तथा कीचड़ भर जाने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त तालाब का जीर्णोद्धार सौन्दर्यीकरण तथा गहरीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत तालाब का क्षेत्रफल 5 एकड़ से कम है, जबकि जल संसाधन विभाग को 5 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य कराने का निर्देश है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–14/2021/ 1285 / राँची, दिनांक– 3/3/2021

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–__ दिनांक–___ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

169

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ब–04 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास काफी संख्या में है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावासों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, साथ ही छात्र/छात्राओं की हित में सरकार के द्वारा रसोईयों एवं बालिका कल्याण छात्रावास में नाईट गार्ड की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है;	1. अधिसूचना संख्या–327, दिनांक–23.01.2018 के द्वारा विभाग अन्तर्गत छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार/संचालन/संधारण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास योजना नियमावली अधिसूचित है। 2. छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं में कमी (Gap) संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–299, दिनांक–02.02.2021 के द्वारा सभी जिलों के परियोजना निदेशक, ITDA/जिला कल्याण पदाधिकारी से पत्राचार किया गया है। विभागीय पत्रांक–2410, दिनांक–01.12.2020 एवं 163, दिनांक–20.01.2021 द्वारा सभी उपायुक्तों से छात्रावासों के मरम्मति/जीर्णोद्धार के प्रस्ताव की मांग की गयी है। 3. वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के मरम्मति/जीर्णोद्धार हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से ₹20.00 करोड़ (बीस करोड़ रू०) मात्र राशि प्राप्त है। इस राशि का व्यय अधिसूचित जिलों के अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं सहित वृहत मरम्मति/जीर्णोद्धार पर किया जाना है। 4. वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रावासों के मरम्मति/जीर्णोद्धार मद में ₹14.50 करोड़ (चौदह करोड़ पचास लाख रू०) मात्र राशि का आय–व्ययक प्रावधान है। इस राशि का व्यय छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं सहित वृहत मरम्मति/जीर्णोद्धार पर किया जाना है।

3	क्या यह बात सही है कि छात्रावासों में जिन शौचालयों का सरकार द्वारा निर्माण कराया गया है, उन शौचालयों की टंकी वर्षों से पूरी तरह भरा है, जिसके कारण सभी छात्रें/छात्राओं को काफि कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग अन्तर्गत छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं पर रख–रखाव के छोटे–छोटे व्यय हेतु (प्रति छात्रावास ₹2.00 लाख तक) ₹383.00 लाख (तीन करोड़ तिरासी लाख रू०) स्वीकृत किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार राज्य के सभी छात्रावासों की समस्या की समाधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–01/2021–क– 586 राँची, दिनांक– 3/3/21

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–606, दिनांक–26.02.2021 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21
(राज किशोर खाखा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड–रानेश्वर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती व मजदूरी है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड रानेश्वर में मयुराक्षी नदी से किसानों को पटवन हेतु बांया तट नहर का निर्माण कराया गया है,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मुख्य नहर के गाँवों पंचायतों में डिस्ट्रीब्युटरी नहर का निर्माण पटवन हेतु कराया गया है लेकिन डिस्ट्रब्युटरी नहर का पक्कीकरण नहीं होने से पानी की बर्बादी होती है तथा फसल का नुकसान भी होता है,	स्वीकारात्मक। डिस्ट्रीब्यूटरी नहर का पक्कीकरण नहीं हुआ है, किन्तु इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डिस्ट्रीटयूटरी नहर का पक्कीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बजट उपबंध की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–07/2021 – 1265 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 478 वि०स० दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(171)

माननीय स0वि0स0 श्री रामचंद्र चन्द्रवंशी द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज–12 का उत्तर प्रतिवेदन :

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पलामू–गढ़वा जिलान्तर्गत मोहम्मदगंज तथा भण्डरीया के पास भीम बराज का निर्माण कोयल नदी पर किया गया है, जिससे झारखंड एवं बिहार के किसानों की भूमि की सिंचाई होती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त बराज की बाढ़ से क्षति होने के कारण सरकार द्वारा पांच करोड़ से अधिक की राशि जीर्णोद्धार हेतु आवंटित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त बराज के जीर्णोद्धार में संवेदक द्वारा घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग करते हुए प्राक्कलन से हट कर कार्य किया जा रहा है, जिससे कार्य की गणुवत्ता प्रभावित हो रही है;	अस्वीकारात्मक। उत्तर कोयल परियोजना बिहार एवं झारखण्ड सरकार का संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत भीम बराज एक अवयव है। बराज समेत उत्तर कोयल परियोजना का अवशेष कार्य भारत सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। कार्य के गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, रांची की अध्यक्षता में गठित उपसमिति–1, द्वारा की जा रही है और गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरांत उपसमिति–1 की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा व्यय की अनुमति दी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारी एवं संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1286 रांची, दिनांक– 3/3/2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0–477, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी प्रखण्ड के बैंगनरीया पंचायत में जोंडरा पहाड़ी गाँव में विद्युतीकरण नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के ग्रामीणों को बिजली के आभाव में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जोंडरा पहाड़ी गाँव में विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	बैंगनरीया पंचायत अन्तर्गत टुण्डी पहाड़ गाँव के जोंडरा पहाड़ी टोला का विद्युतीकरण कार्य JSBAY (झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना) में किया जाना है, जिसके तहत् सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पत्राचार किया गया है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत उक्त टोला को तीन महीनों के अंदर ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 513 / दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docx 5

-173-

श्री दिनेश विलियम मरांडी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न पत्र संख्या–क–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	माननीय विभागीय मंत्री का उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वनबन्धु कल्याण योजना के अंतर्गत दिनांक–14.12.2017 को विधानसभा सत्र के दौरान संचालित NGO के द्वारा कराये जा रहे कार्यों के बारे में प्रश्न पूछा गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रश्न में कार्य कर रहे NGO के घोर अनियमितता को स्वीकार की गई थी ;	NGO को दी गई अग्रिम तथा NGO द्वारा कराये गये कार्य की जांच हेतु संयुक्त दल गठित किया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि संबंधित NGO पर कार्रवाई के बारे में स्वीकारात्मक उत्तर आया था ;	संयुक्त जांच दल गठित कर जांच कराया जा रहा था। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात उल्लेखित की गई थी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संबंधित NGO पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक–230, दिनांक–02.03.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर 3 NGO पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं 13 NGO पर ली गई अग्रिम राशि (ब्याज सहित) की वसूली हेतु नीलाम–पत्र दाद दायर किया गया है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०प्र०–V.K.Y–03/2021 583 रांची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि– 1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–502 दिनांक– 26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.03.2021

(रवि रंजन मिश्रा)
सरकार के अपर सचिव।

(175)

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री दशरथ गागराई , मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावां जिला के कुचाई प्रखण्ड के गाँवों में 10 के०वी० एवं 15 के०वी० के विद्युत ट्रांसफार्मर को 25 के०वी० में बदलने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि कुचाई प्रखण्ड के 30 से अधिक गाँवों में 10 के०वी० एवं 16 के०वी० के विद्युत ट्रांसफार्मर खराब हैं;	आंशिक स्वीकारात्क है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुचाई प्रखण्ड के गाँवों में 10 के०वी० एवं 16 के०वी० के विद्युत ट्रांसफार्मर को 25 के०वी० में बदलने का कार्य वित्तीय वर्ष 2020–2021 में पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कुचाई प्रखण्ड के वैसे गाँव जहाँ 10/16 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर जला है, उसको JSBAY योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 में बदल दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 511 / दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(176)

श्री दिनेश विलियम मराण्डी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अमड़ापाड़ा प्रखण्ड के बाँसलोई नदी में सिंचाई विभाग द्वारा अरबों रुपये का कुल–07 (सात) चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है, जबकि भारत सरकार की नमामि गंगा योजना के अन्तर्गत कोई भी नदी जो गंगा नदी में मिलती है, उस नदी में बाँध का निर्माण नहीं किया जाना है, परन्तु सरकार के द्वारा नियम को ताक पर रखकर अमड़ापाड़ा के बाँसलोई नदी में अरबों का चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है, उक्त चेक डैम के निर्माण से बाँसलोई नदी का अस्तित्व मिट जाएगा तथा इस नदी में बालू नहीं आ पायेगा एवं पानी का श्रोत भी समाप्त हो जाएगा, वर्त्तमान में चेक डैम के निर्माण के दौरान ही कुछ चेक डैम का कुछ हिस्सा टूट गया है साथ ही चेक डैम में बालू भर गया है,	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ द्वारा लिट्टीपाड़ा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनान्तर्गत अमड़ापाड़ा प्रखंड अन्तर्गत बांसलोई नदी में 10 अदद् वीयर का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके आलोक में 07 अदद् वीयर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी एकरारित राशि रू० 57.09 करोड़ मात्र है। बांसलोई नदी में चेक डैम नहीं बल्कि वीयर का निर्माण किया जा रहा है। नदी के बेड लेवल पर गेट (Silt ejector) का प्रावधान है। समय–समय पर गेट उठाकर डिसील्ट किया जाएगा, जिससे नदी में बालू के जमाव को रोका जा सकेगा। वीयर में बरसात का अतिरिक्त पानी जमा होगा, शेष पानी स्पील (Over flow) कर डाउन स्ट्रीम में जाता रहेगा। अतः नदी का अस्तित्व पूर्व की भांति बनी रहेगी। विदित हो कि वीयर की ऊँचाई मात्र 2 मीटर है जबकि नदी की गहराई 8 से दस मीटर है। सभी स्थलों पर समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। निर्माणाधीन वीयरों का कोई हिस्सा टूटा हुआ नहीं पाया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजना के आलोक में कार्य की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 में वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्य की जाँच कराने का विचार नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–13/2021 – 1264 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 471 दि०स० दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-04 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
1.	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद-हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के 18456 किसानों सहित संपूर्ण जिले के 74946 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2018 में अगहनी एवं भदई फसल का बीमा कराया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखण्ड के 5602 एवं हरिहरगंज प्रखण्ड के 4155 किसानों सहित सम्पूर्ण पलामू जिले के 79670 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2018 में अपनी एवं भदई फसल का बीमा कराया था।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित फसल बीमा के संदर्भ में विगत विधानसभा सत्र में पूछे गए प्रश्न के आलोक में पत्रांक-1298 दिनांक-16.09.2020 के द्वारा जवाब दिया था, कि इंश्योरेंस कंपनी को निर्देशित किया जा रहा है कि पहले वे किसानों के अनुमान्य दावा का भुगतान करें जिसके पश्चात राशि उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, परन्तु 31 जनवरी, 2021 तक फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार पलामू जिले के किसानों को वर्ष-2018 के फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने हेतु कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संबंधित फसल के उपजदर एवं लाभुक किसानों के दावे के सत्यापन के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

4/3/21
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव।

283
03.03.2021

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-07/फसल बीमा (वि0स0) तारांकित-06/2021 सह0 283 /राँची, दिनांक- 03.03.2021

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-484 वि0स0 दिनांक-26.02.2021 के क्रम में 125 चत्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21

सरकार के अवर सचिव।

(178)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत महुआडांड प्रखण्ड में आयोजन एवं मॉनिटरिंग प्रमण्डल, मेदनीनगर (Water ways) द्वारा नकटी नाला सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजना के संवेदक द्वारा नाला निर्माण में प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराया जा रहा है, साथ ही नकटी नदी के पास पुराना पुल तोड़कर नया बनाया गया है वो बहुत ही घटिया है एवं पुल कभी भी टूट सकता है,	अस्वीकारात्मक। नकटी नाला सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। इसके कि०मी० 0.100 पर पूर्व निर्मित कलवर्ट के क्षतिग्रस्त भाग को डिस्मेन्टल कर नहर में पानी जाने के लिये 1.00 मीटर व्यास का ह्यूम पाईप बैठाया गया है। इसके उपर मिट्टी भरकर नहर के आर–पार जाने हेतु रास्ता बनाया गया है। गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस पुल के रास्ते में स्थानीय मिशन स्कूल के सिस्टर लोगों का छात्रावास जाने का रास्ता है, पुल खराब बनने से इन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	मिशन स्कूल के छात्रावास के छात्रों को आने–जाने हेतु ही नहर के उपर उपरोक्त रास्ता माह फरवरी 2021 में बनाया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 एवं 2 में वर्णित तथ्यों के आलोक में योजना के संवेदक पर कार्रवाई करते हुए गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ करायी जाती हैं तथा इसके गुणवत्ता की जाँच भी करायी जाती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–18/2021 – 1261 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 470 वि०स० दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

173

श्री रामचंद्र चन्द्रवंशी, स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पाण्डू प्रखंड के पंचायत तिसीबार टोला असनोर तथा ग्राम चेरा सिकाना के बीच से बाँकी नदी बहती है जिसमें सालो भर पानी रहता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पाण्डू ग्राम पंचायत तिसीबार के आस पास सिंचाई का साधन नहीं है जिसके कारण किसानों को फसल उपजाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। सगवा नाला मध्यम सिंचाई योजना, मजुराहा मध्यम सिंचाई योजना तथा अहरी आहर से किसानो द्वारा सिंचाई सुविधा ली जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर एक बीयर बना कर सिंचाई करने से 1000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ;	अस्वीकारात्मक। बीयर का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थल पर बीयर का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा देने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत स्थल पर नदी के दोनों तट का मिलान (Tagging) नहीं होने के कारण बीयर का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारा०-05/2021/ 1281 / राँची, दिनांक- 03/03/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-___ दिनांक-_____ के प्रसंग मे अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(180)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बहरागोड़ा प्रखंड और वर्षों पहले यहाँ उदभव सिंचाई योजना से खेती में पानी पटाया जाता था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में यह योजना पूर्णरूपेण निष्क्रिय बंद पड़ी हुई है, वर्तमान में सिंचाई की सुव्यवस्था न होने के कारण खेती कार्य प्रभावित हो रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बहरागोड़ा प्रखंड में पुनः उदभव सिंचाई व्यवस्था को चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत निर्मित उद्‌वह सिंचाई योजना, जिनमें पुनर्स्थापन की आवश्यकता है, का स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है। वर्तमान में अनुसूचित दर के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। नये अनुसूचित दर के प्रकाशन के उपरांत प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता के आधार पर विभाग योजना के निर्माण का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारा०-19/2021/ 1273 / राँची, दिनांक- 03/03/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-___ दिनांक-___ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कोषांग, रांची/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(181)

श्री नवीन जायसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–04.03.2021 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न जा०–16 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ऋषभ नगर एवं साई सिटी, पुन्दाग, राँची में लगभग 1000 परिवार निवास कर रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उन सभी परिवारों को जगरनाथपुर मेन रोड तक जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है जो झारखण्ड विधानसभा भवन से करीब है फिर भी स्ट्रीट लाईट की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण आए दिन असमाजिक तत्वों के द्वारा अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिस कारण यहाँ के निवासियों को भय के साये में आना–जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि विद्युत पोल एवं Low Tension Line (लो वोल्टेज तार/केबल) नहीं होने के कारण जगरनाथपुर से मुख्य मार्ग तक स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। विदित हो कि विद्युत पोल एवं Low Tension Line (लो वोल्टेज तार/केबल) का अधिष्ठापन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के द्वारा किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऋषभ नगर से जगरनाथपुर मेन रोड तक के रास्ते पर लाईट की समुचित व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विद्युत पोल एवं Low Tension Line (लो वोल्टेज तार/केबल) के अधिष्ठापन होने के उपरान्त स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन की व्यवस्था अविलम्ब कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05/वि०स०/ता०प्र०–14/2021 न०वि०आ० 842 राँची, दिनांक– 03/03/21

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–494 वि०स० दिनांक–04.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(182)

श्री सोनाराम सिंकु, स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-24 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलों के नोवामुण्डी प्रखंड अंतर्गत बड़ापासेया पंचायत में तत्कालीन बिहार राज्य के समय उलीईकीर नाला में स्थानीय खेतों में सिंचाई की पानी की उपलब्धता के लिए सन् 1980–81 ई0 में नहर का निर्माण कराया गया था ;	योजना, जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त नहर से विरूपासेया, कितांगतोडांग, उदाजो, हुसीपी सहित अन्य समीपवर्ती गाँव में नहर से खेती के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि 25 वर्षों से अधिक अवधि में उक्त नहर के जीर्ण–शीर्ण हो जाने के कारण सिंचाई के लिए नहर से पानी की उपलब्धता समाप्त हो गई है और समुचा इलाका जो लगभग 1500 एकड़ के करीब है सिंचाई के अभाव में कृषि कार्य से वंचित हो गए है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित से इस डैम एवं इससे लगने वाली नहर के पुनर्निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इसका निर्माण काम के बदले अनाज योजना (Food for work Programme) के अंतर्गत जिला निधि से वर्ष 1980–81 में हुआ है। विभाग तकनीकी संभाव्यता, क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के अनुकूल रहने पर कार्य कराने का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–24/21 / 1272 / राँची, दिनांक– 03/03/21

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–...... दिनांक–........ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(183)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–क–01 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में बिरनी शैक्षणिक रूप से एक पिछड़ा प्रखण्ड है, जहाँ अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु कोई आवासीय विद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार बिरनी में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गिरिडीह जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु जमुआ एवं खरगडीहा में एक–एक आवासीय विद्यालय कक्षा–1 से 10 तक संचालित है। उक्त विद्यालयों में गिरिडीह जिले के किसी भी प्रखण्ड के छात्र नियमानुसार नामांकन कराकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–02/2021–क– 585 राँची, दिनांक– 3/3/21

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–503, दिनांक–26.02.2021 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21
(राज किशोर खाखा)
सरकार के अवर सचिव।

/c

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

श्रीमती सीता सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–10 का उत्तर।

क्र0	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती सीता सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका एव इसके आस–पास जिलों में दुग्ध उत्पादन के लिए एक भी डेयरी फॉर्म एवं चिलिंग प्लांट नहीं होने के कारण यहाँ बंगाल और बिहार से पैक किया हुआ दूध की आपूर्ति होती है;	अस्वीकारात्मक। दुमका जिला के आस–पास देवघर जिला में 20 हजार लीटर हस्तन क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। उक्त डेयरी प्लांट के आस–पास में अवस्थित दूध शीतक केन्द्रों से प्रशीतन उपरांत संग्रहित दूध को प्रोसेसिंग हेतु आपूर्ति की जाती है। दुमका जिला अन्तर्गत बागझोपा (जामा), नोनीहाट (जरमुण्डी) तथा धावाटाड़ (सरैयाहाट) में कुल तीन दूध संग्रहण एवं प्रशीतन हेतु बल्क मिल्क कूलर संचालित हैं। इन केन्द्रों के द्वारा दुमका जिला में 40 दूध संग्रहण केन्द्र से सम्बद्ध 162 गाँव के लगभग 1548 दूध उत्पादकों से औसतन 2800 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित कर उन्हें दूध का लाभकारी मूल्य दिलाया जा रहा है। निकटवर्ती जिला साहेबगंज तथा सारठ (देवघर) में 50,000 लीटर क्षमता के डयरी प्लांट की स्थापना प्रगति पर है। साथ ही, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा उत्पादित मेधा ब्रांड के दूध, पनीर, दही आदि प्रतिदिन दुमका सहित देवघर, गोड्डा, जामताड़ा एवं अन्य निकटवर्ती जिलों के बाजार में माँग के आधार पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। दुमका के शहरी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल तथा बिहार के डेयरी से कतिपय पैकेट दूध की बिक्री निजी विक्रेताओं के द्वारा भी की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि दुमका जिले में डेयरी फॉर्म नहीं होने के कारण पशुपालन को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है;	अस्वीकारात्मक। देवघर जिला में संचालित डेयरी प्लांट से संबद्ध दुमका जिला में कार्यरत दूध शीतक केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों का दूध खरीद कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से पशुपालन एवं दूध उत्पादन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार दुमका जिले के जामा अथवा रामगढ़ प्रखण्ड में डेयरी फॉर्म खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	दुमका में निकटवर्ती जिलो यथा देवघर तथा साहेबगंज में 50,000 लीटर हस्तन क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा माह जून 2021 तक इनका संचालन प्रारंभ हो सकेगा। उक्त डेयरी संयत्रों के माध्यम से दुमका जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालक दूध संग्रहण से जुड़कर लाभान्वित हो सकेगें। साथ ही पशुपालन एवं डेरी फार्म को प्रोत्साहन देने के लिये दुमका जिले के सभी प्रखण्डों में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत 50% अनुदान पर 02 गाय और 25% अनुदान पर 05 गाय एवं 10 गाय (सामान्य वर्ग) और 33.33% अनुदान पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 05 गाय एवं 10 गाय की योजना का संचालन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक:–5 बजट (1) 09/2021 प0 पा0 248. राँची/ दिनांक 03.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 485 दि0 26.02.2021 के प्रसंग में एवं अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव

(185)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड–रानेश्वर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ अधिकतम् आबादी का मुख्य पेशा खेती व मजदूरी है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्ड के मयुराक्षी नदी के बाढ़ से किसानों की उपजाऊ भूमि ग्राम–महेशबथान से नौरमी तक (पंचायत–पथरा, कुमीरदाहा, सुकजोरा तक) सैकड़ों एकड़ नदी में समा गयी है,	स्वीकारात्मक। अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में नदी का पानी दोनों किनारे के खेतों में फैल जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि किसानों के भूमि कटाव से रोकथाम के लिए अबतक गार्डवाल का निर्माण नहीं कराया गया है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त गाँवों/पंचायतों के किसानों के हित में मयुराक्षी नदी के दोनों किनारों पर तटबंध (गार्डवाल) निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य तकनीकी सलाहकार समिति, झारखण्ड, राँची की अनुशंसा के पश्चात् योजना समीक्षा समिति की सहमति के उपरान्त बजट उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–08/2021 – 1266 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 475 वि०स० दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

186

श्री नारायण दास, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-09 का प्रश्नोत्तर:-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री नारायण दास, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग:-

क्र.	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर विधानसभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः देवघर, देवीपुर और मोहनपुर नकदी फसल यथा-सब्जी उत्पादन वाला क्षेत्र है, तथा 70 प्रतिशत आमजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित क्षेत्र में मिनी/वृहत शीतगृह स्थापित नहीं रहने के कारण सब्जी उत्पादकों को कठिनाईयाँ हो रही है और उनके उत्पादित सामान के रख-रखाव नहीं होने के कारण लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्डों में वृहत शीतगृह सहित पंचायतवार मिनी शीतगृह के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए देवघर जिला के सारठ अंचल में 5000एम0टी0 क्षमता के एक कोल्ड-स्टोरेज निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में देवघर जिला अन्तर्गत देवघर, देवीपुर और मोहनपुर प्रखण्ड के क्रमशः खसपैका पैक्स, धोबना पैक्स एवं बलवर पैक्स में 30 एम0टी0 क्षमता के एक-एक कोल्ड रूम की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके आलोक में भवन निर्माण विभाग के सम्बंधित प्रमंडल द्वारा निर्माण से सम्बंधित कार्रवाई की जा रही है ।

ह0/-
(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

279
03.03.2021

मु0कु0

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट सह0 (विधान सभा)–03/2021–279 /राँची, दिनांक–03.03.2021

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–489 वि0स0 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 125 चत्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

सरकार के अवर सचिव।

187

डॉ० नीरा यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-13 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-डॉ० नीरा यादव, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला में भूमि संरक्षण पदाधिकारी का पद विगत 2-वर्षों से रिक्त पड़ा है, जिसके कारण विभागीय कार्य बाधित है;	अस्वीकारात्मक। कोडरमा जिले में भूमि संरक्षण पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। भूमि संरक्षण पदाधिकारी, चतरा के द्वारा कोडरमा जिले में भूमि संरक्षण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि भूमि संरक्षण कार्यालय, कोडरमा में कनीय अभियंता के स्थायी पदस्थापन नहीं रहने के कारण विकास कार्य बाधित है तथा उनको चतरा जिला और कोडरमा जिला दोनों जगह का कार्य करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोडरमा जिले में कनीय अभियंता का पद स्वीकृत नहीं है। भूमि संरक्षण कार्यालय, चतरा में पदस्थापित कनीय अभियंता के द्वारा ही कोडरमा जिला का भी विकास कार्य किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि भूमि संरक्षण कार्यालय कोडरमा द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 में कराए गए कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान लम्बित है;	स्वीकारात्मक। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव में लम्बित भुगतान की राशि को सम्मिलित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जिला में भूमि संरक्षण पदाधिकारी, कनीय अभियंता को स्थायी पदस्थापन कराकर कृषक हित में तालाबों का निर्माण व जीर्णोद्धार तथा वित्तीय वर्ष-2018-19 में पूर्ण कराए गए कार्य का अविलम्ब भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-09/कृ०वि०स०(ता०)-01/2021 425 /कृ०, राँची, दिनांक- 03.03.2021

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-483 दिनांक-26.02.2021 के प्रसंग में (125 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21

(सुमन कुमार साही)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-09/कृ०वि०स०(ता०)-01/2021 425 /कृ०, राँची, दिनांक- 03.03.2021

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/जोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21

सरकार के अवर सचिव।

(188)

श्री मंगल कालिन्दी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-08 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मंगल कालिन्दी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः-

क्र.	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम अन्तर्गत जुगसलाई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पटमदा एवं बोड़ाम प्रखण्ड कृषि पर आश्रित क्षेत्र है एवं यहाँ के अधिकांश लोगों की जीविका कृषि पर ही आधारित है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्रों में सब्जी, फल एवं फूल की खेती बृहत पैमाने पर होती है एवं यहाँ के सब्जी एवं फल राज्य के अलावे निकटवर्ती राज्य प0बंगाल में भी निर्यात किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि एक भी कोल्ड-स्टोरेज नहीं रहने के कारण कृषकों को उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है और कृषकों के मनोबल पर भी विपरित असर पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृषकों के हित में उपरोक्त क्षेत्र में एक-एक कोल्ड-स्टोरेज के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत अंचल पटमदा, मौजा-बामनी में 5000एम0टी0 क्षमता के एक कोल्ड-स्टोरेज निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत पटमदा प्रखण्ड के पटमदा कैम्पस में 30 एम0टी0 क्षमता के एक कोल्ड रूम की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

ह0/-
(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

27/03/2021

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट स०0 (विधान सभा)–04/2021 278 /राँची, दिनांक– 03·03·2021

प्रतिलिपि–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–488 वि0स0 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 125 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03·03·2021

सरकार के अवर सचिव।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-28 का उत्तर प्रतिवेदन। 189

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखंड बोरियो के आम्रील पंचायत के अंतर्गत मौजा–गढ़गामा गांव में सरकारी तालाब जिसका प्लाट नं०–25 है (लम्बा तालाब) है, जिससे 04 (चार) मौजा के किसानों को सिंचाई उपलब्ध होता था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या, यह बात सही है कि काफी दिनों से उक्त तालाब का जीर्णोद्धार नहीं होने से चार मौजा के किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पाता है ;	स्थानीय कृषकों द्वारा आंशिक रूप से लगभग 30 हेक्टेयर सिंचाई का लाभ लिया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजना के पुर्नस्थापन हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, वर्तमान में सरकार द्वारा अनुसूचित दर के पुनरीक्षण कार्रवाई की जा रही है, अनुसूचित दर के पुनरीक्षण के उपरांत प्राक्कलन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए विभाग योजना के जीर्णोद्धार का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–15/2021/ 1279 /   राँची, दिनांक– 03/03/21

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–467 दिनांक–26.02.21 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(190)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–03 का उत्तर सामग्री :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि स्व० इंद्रजीत सिंह मुण्डा आ०ज०जा० आवासीय मध्य विद्यालय, सिंहपुरा में कार्यरत थे तथा दिनांक–12.01.2014 को सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी थी	स्व० इन्द्रजीत सिंह मुण्डा, झाड़ूदार, अनुसूचित जनजाति आवासी य मध्य विद्यालय, सिंहपुरा में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु दिनांक 12.01.2014 को सेवा अवधि में हो गई थी। मृत्यु का कारण प्रतिवेदित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि इंद्रजीत सिंह मुण्डा की मृत्यु के बाद दिनांक–06.08.2018 को उनकी पुत्री अनीता मुण्डा ने अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के लिए जिला कल्याण विभाग, जमशेदपुर को आवेदन दिया था	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक सुश्री अनीता मुण्डा को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तथा असहाय अनीता अपनी नियुक्ति हेतु कार्यालयों का चक्कर काट रही है	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बहरागोड़ा प्रखण्ड के मालुआ गाँव में रहनेवाली सुश्री अनीता मुण्डा को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों	नियुक्ति पत्र विभागीय कार्यालय आदेश सं०–596, दिनांक–03.03.2021 द्वारा निर्गत किया गया है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
ज्ञापांक–01/वि०स०(ता०)–01/2021 598 राँची, दिनांक– 3/3/21

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० – 504, दिनांक – 26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/21
(जगबन्धु महथा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(191)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खूंटी जिलान्तर्गत कर्रा प्रखण्ड में लतरातू जलाशय है, जिसके बायें तरफ के नहर से कर्रा प्रखण्ड के बिरदा इलाके में खेती की सिंचाई होती है.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नहर का फाटक खराब होने के कारण नहर का पानी खेतों में नहीं पहुँच कर सीधे नदी में गिर रही है, जिससे किसानों को सिंचाई का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है,	स्वीकारात्मक। लीकेज के कारण नहर में रूपांकित क्षमतानुसार जल उपलब्ध नहीं होने के कारण सिंचाई कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार लतरातू जलाशय के बायें तरफ के नहर के फाटक (द्वार) का मरम्मत कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	फाटक का निरीक्षण कराकर मरम्मत कराने की कार्रवाई वर्ष 2021–22 में की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–02/2021 – 1262 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 28 वि०स० दिनांक 17.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(192)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुसा एवं झरपो में पावर सब-स्टेशन का भवन निर्माण कार्य 02 वर्ष पूर्व से पूर्ण है, परंतु अबतक इसे चालू नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों पावर सब-स्टेशन संचालित नहीं होने के कारण इसके पोषक क्षेत्रों में विद्युतापूर्ति निर्बाध रूप से नहीं हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त दोनों पावर सब-स्टेशनों को चालू कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	1. हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुसा विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 33 के०भी० बरकट्टा-चलकुसा के लाईन की लंबाई लगभग 22 कि०मी० है जिसमें से 10 कि०मी० वन क्षेत्र है, जिसका प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची में लंबित है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने के उपरांत छः (06) महीने के अंदर 33 के०भी० लाईन निर्माण का कार्य पूरा कर शक्ति उपकेन्द्र ऊर्जान्वित कर दिया जायेगा। 2. विद्युत उपकेन्द्र झरपो का निर्माण कार्य जारी है जो माह मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जायेगा। 33 के०भी० लाईन बनासो-झरपो के बीच कुल लंबाई लगभग 32 कि०मी० है जिसमें से 14 कि०मी० वन क्षेत्र है। जिसका वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लंबित है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने के उपरांत छः (06) महीने के अंदर 33 के०भी० लाईन निर्माण का कार्य पूरा कर शक्ति उपकेन्द्र ऊर्जान्वित कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 514 /

दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०—34 का उत्तर प्रतिवेदन :—

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला में वित्तीय वर्ष 2018—19 में गवई बराज योजना की कुल राशि 150 करोड़ रूपये की लागत से प्रारंभ की गई थी.	अस्वीकारात्मक। बोकारो जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016—17 में गवई बराज योजना का कार्य रू० 122.66 करोड़ की लागत से प्रारंभ की गयी थी।
2.	क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण कार्य को दो वर्ष में ही पूर्ण कराना था, परन्तु संवेदक द्वारा सभी सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए तीन वर्ष बीत जाने बाद एवं लगभग 90 प्रतिशत राशि की निकासी के पश्चात् भी लगभग 40—प्रतिशत कार्य ही कराया गया है.	अस्वीकारात्मक। सम्पूर्ण कार्य को दो वर्ष में पूर्ण कराना था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा भू—अर्जन नहीं होने की बात उठाकर विरोध करना एवं COVID-19 के कारण हुए संपूर्ण लॉकडाउन के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। वर्तमान में भौतिक रूप में लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके विरूद्ध कुल एकरारित राशि का 74 प्रतिशत का भुगतान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बराज का निर्माण पूर्ण कराने, कैचमेंट को पूर्ण करने एवं संवेदक/दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बराज निर्माण का शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे जून, 2021 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या— 6/ज०सं०वि०—20—तारां०—17/2021 — 1275 /राँची, दिनांक 3/3/21।

प्रतिलिपि :— उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक— 466 वि०स० दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

194

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखण्ड में कोनार सिंचाई परियोजनान्तर्गत किसानों को सुविधा हेतु कोनार नहर दांयी शाखा एवं बांयी शाखा संचालित है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कोनार नहर परियोजना अन्तर्गत दांयी शाखा नहर के कि०मी० 3.100, 3.800, 4.550 एवं कि०मी० 5.100 पर संरचनाओं का निर्माण नहीं होने से स्थानीय ग्रामीणों को कृषि कार्य एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक तरफ से दूसरी तरफ आने–जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोनार नहर परियोजनान्तर्गत संचालित कृषि कार्य हेतु दांयी शाखा नहर के कि०मी० 3.100, 3.800, 4.550 एवं कि०मी० 5.100 पर अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. कोनार नहर परियोजना अन्तर्गत कोनार दाँयी शाखा नहर के कि०मी० 3.100 एवं कि०मी० 3.800 पर नहर के स्वीकृत डिजाइन के आलोक में अतिरिक्त संरचना (पुल) बनाने की आवश्यकता नहीं है। 2. कि०मी० 4.550 पर अवस्थित "क्रॉस ड्रेनेज" संरचना के सफाई करने की आवश्यकता है। 3. कि०मी० 5.100 पर एकपथीय सेतु के स्थान पर "फुट ब्रिज" बनाया जा सकता है। नये "अनुसूचित दर" के प्रकाशन के पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध के आलोक में उपर्युक्त क्रमांक–2 एवं 3 का का निर्माण कार्य कराने पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–16/2021 – 1283 /राँची, दिनांक 3/3/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 465 वि०स० दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2021

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\New Vidhan Sabha\March 2021\04.03.2021\J-33 Jai Prakash Bhai Patel.doc

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-03 का प्रश्नोत्तरः-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले में वर्ष 2017 में 83011 किसान फसल का बीमा कराए थे ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिले में वर्ष 2017 में 84011 किसानों का फसल बीमा कराया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हरिहरगंज प्रखंड के दलपतपुर ग्राम के 109 किसानों को छोड़ पलामू जिले के सभी किसानों को बीमा की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिला के किसानों को बीमा की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया, जिसमें दलपतपुर के 109 किसान भी सम्मिलित है। पलामू जिले में कुल 25416 किसानों के दावों का भुगतान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अन्तर्गत हरिहरगंज प्रखंड के दलपतपुर ग्राम के 109 किसानों को बीमा की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपर्युक्त।

03/03/21
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-07/फसल बीमा (वि०स०) तारांकित-05/2021 स०282 /राँची, दिनांक-03.03.2021

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०-482 वि०स० दिनांक-26.02.2021 के क्रम में 125 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21
सरकार के अवर सचिव।

ह०/अपठ

श्री नारायण दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड क्रमशः देवघर, देवीपुर और मोहनपुर 80 प्रतिशत ड्राई जोन वाला क्षेत्र है, जहाँ स्थानीय कृषक सिंचाई सुविधा नहीं रहने के कारण मात्र एक फसल ही उपजा पाते हैं,	अस्वीकारात्मक। देवघर, देवीपुर एवं मोहनपुर प्रखण्ड में कुल 25 चेकडैम का निर्माण कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्रों रबी, खरीफ तथा नकदी फसल के संभावना वाले क्षेत्र है, जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय कृषक की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है,	दरूआ वीयर योजना एवं दहुआजोर वीयर योजना से देवघर प्रखंड में आंशिक सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित प्रखण्डों में स्थानीय किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति दरूआ वीयर योजना एवं दहुआजोर वीयर योजना से देवघर प्रखंड में आंशिक सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है। इन दोनों योजनाओं का जीर्णोद्धार के अन्तर्गत पक्कीकरण कार्य कराने का डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। शेष क्षेत्रों में पक्कीकरण का कार्य कराने के उपरान्त दोनों योजनाओं से डिजाईन क्षमता के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। पुनासी जलाशय योजना से वर्ष 2021–22 में आंशिक रूप से सिंचाई सुविधा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना पूर्ण होने के उपरान्त पुनासी मुख्य नहर के सम्पूर्ण लम्बाई (72.10 कि०मी०) से देवघर, मोहनपुर, सारवाँ एवं सरैयाहाट प्रखंड के किसानों को 15384 हे० खरीफ एवं 8907 हे० रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–12/2021 – 1263 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 464 वि०स० दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री रामेश्वर उरॉव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, पलामू सहित पूरे राज्य में आनलाईन नया राशन कार्ड बनाने तथा नाम दर्ज कराने हेतु मार्केटिंग अफसर एवं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगइन बेबसाईट पर लाखों मामला लंबित पड़ा हुआ है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा आनलाईन आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिसके कारण पदाधिकारी के द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य के 2,64,25,385 लाभुकों को इस योजना से आच्छादित किया जाना है। इसके आलोक में राज्य में अब तक 2,61,01,090 लाभुकों को आच्छादित किया जा चुका है। शेष बचे 3 (तीन) लाख रिक्तियों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा रहा है परन्तु इसके आलोक में 20,56,621 लाभुकों का आवेदन प्राप्त है। इसी कारण सभी को NFSA का नया राशनकार्ड नहीं दिया जा सकता। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 15 (पन्द्रह) लाख लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु हरा राशनकार्ड दिया जा रहा है। वर्तमान में इस नये हरे राशनकार्ड के लाभुकों को NFSA के समय– समय पर उपलब्ध जिलावार रिक्तियों के विरूद्ध NFSA में Shifting किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजना से आच्छादित किया जा सके।
(3) क्या यह बात सही है कि कार्य का निष्पादन समय पर नहीं होने के कारण लाखों गरीब जनता को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है;	
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या लंबित ऑनलाईन आवेदनों का निष्पादन कराते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् गरीब जनता को अनाज मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (वि०स०ता० प्रश्न) 06/2021 673 /राँची, दिनांक 02/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–510/वि०स०, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

(198)

श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि महेषपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पाकुड़ जिला के पाकुड़िया प्रखंड के ग्राम–तिलुरिया बगदापाड़ा, पंचायत बसंतपुर, मौजा संख्या–126, प्लॉट संख्या–285 में अवस्थित लघु सिंचाई योजना वर्षों से Defunct पड़ा हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त सिंचाई योजना इर्द–गिर्द में अवस्थित 4–5 गाँवों के मुख्यरूप से कृषि पर आधारित गरीब किसानों के लिए खेती हेतु सिंचाई का एकमात्र श्रोत है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गरीब किसानों के जीविकोपार्जन हेतु वर्षों से Defunct उक्त सिंचाई योजना को अविलम्ब कार्यरत बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत योजना जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–09/21 / 1274 / राँची, दिनांक– 03/03/21

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–.... दिनांक–........ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(99)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–01 का उत्तर।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री ग्लेन जोसेफ, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात सही है कि राँची जिला के अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय निजी भवन में काफी दिनों से चलता आ रहा है, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ?	अस्वीकारात्मक है। प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, मैक्लुस्कीगंज वर्ष 2018 के माह अप्रैल से नवनिर्मित पशुचिकित्सालय भवन में संचालित है।
2	क्या बात सही है कि तीन वर्ष पूर्व से चिकित्सालय भवन बन कर तैयार है, वह चिकित्सालय बन्द पड़ा है ?	अस्वीकारात्मक है।
3	क्या बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज में पशु पालकों की तदाद काफी रहने के बावजूद पशु चिकित्सालय के अभाव में ईलाज के लिए बाहर जाना पड़ा है ?	अस्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभाग के बन्द पड़े भवन में चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक:– 5 बजट (1) 06/2021 प0 पा0 246- राँची/ दिनांक 02.03.2021
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 25 दि0 17.02.2021 के प्रसंग में (125 प्रतियों में) तथा अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2021
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 5 बजट (1) 06/2021 प0 पा0 246- राँची/ दिनांक 02.03.2021
प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके पीत पत्र गै०स०प्रे०सं० 16 दिनांक 25.02.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2021
सरकार के अवर सचिव

(200)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स०वि०स०, द्वारा दिनांक– 04.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– क–08 का उत्तर ।

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, अनु०ज० जा०, अनु० जा०, अल्प० एवं पि० वर्ग कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम (झरिया तथा सिंदरी अंचल) धनबाद अंतर्गत परसियाबाद मांझी बस्ती (भौरा), भौरा 19 नं० मोहलबनी मांझी बस्ती तथा बस्ताकोला मांझी बस्ती में धुमकुड़िया भवन का निर्माण अति आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर धुमकुड़िया भवनों के निर्माण से अनु०ज०जा० समाज के लोगों को विभिन्न सांस्कृतिक, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु सुविधा मुहैया हो पाएगी ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर धुमकुड़िया भवनों का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नही तो क्यों ?	जिला से उक्त धुमकुड़िया भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता के आलोक में निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

03/03/2021
(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– सं० –07/वि०स०ता०–01/2021 584 राँची, दिनांक– 3/3/21

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या–505, दिनांक– 26.02.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/2021
(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

251

श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-20 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत बासलोई नदी में विभिन्न स्थानों पर वर्षों पूर्व से स्थापित सभी के सभी 13 लिफ्ट एरीगेशन योजनाएँ Defunct है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मुख्यरूप से कृषि पर निर्भर किसानों को खेती बारी हेतु सिंचाई की नितांत आवश्यकता के मद्देनजर उक्त स्थापित 13 लिफ्ट एरिगेशन योजनाओं के बंद पड़े रहने के कारण क्षेत्र के आम गरीब किसान त्रस्त है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त वर्षो से बंद पड़े उक्त लिफ्ट एरिगेशन योजनाओं को अविलम्ब चालू करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजनाओं के विद्युत संयोजन, विद्युत विपत्र के भुगतान एवं रख-रखाव की सहमति लाभुक समिति से अप्राप्त है। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत तकनीकी संभाव्यता पाए जाने पर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए विभाग योजनाओं के निर्माण का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां0-20/21 / 1280 / राँची, दिनांक- 03/03/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-480 दिनांक-26.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।